माननीय आशुतोष मोहुनता और आर. एस. मदन, जे जे. के समक्ष

रचना और अन्य, — *याचिकाकर्ता*
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य, — *उत्तरदाताओं*

C. W.P. NO. 2896 OF 2006
22 जनवरी, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-चुनाव आदर्श आचार संहिता जारी होने के बाद स्टाफ नर्सों के चयन का परिणाम घोषित किया गया-सरकार ने चयन को रद्द कर दिया और सीटों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया-चयन की पूरी प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी हो गई -आचार संहिता की घोषणा के अलावा उत्तरदाताओं द्वारा चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं बताई गई -याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा सफल घोषित किए जाने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है -याचिका स्वीकार की गई, स्टाफ नर्स के पदों के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन रद्द कर दिया गया प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को नियमित आधार पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया।

निर्णय, कि चयन प्रक्रिया के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा कोई गलती नहीं बताई गई है, सिवाय इसके कि चुनाव आदर्श आचार संहिता 17 दिसंबर, 2004 को लागू हुई थी और परिणाम 21 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा सफल घोषित किए जाने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है ।

(पैरा 19)

निर्णय, कि "होना या न होना'' हेमलेट के सामने एक दुविधा रही होगी। वर्तमान परिदृश्य में स्थिति स्पष्ट रूप से विपरीत थी और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। भारतीय गणतंत्र की एक उज्ज्वल विशेषता, आचार संहिता के लागू होने से चयनित नर्सों की नियुक्ति के आदेश जारी करने पर अनिवार्य रूप से ग्रहण लग गया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां नियुक्तियां किसी अन्य कारण से रुकी हुई थीं। ऐसा होने पर, जिस क्षण चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई और उपरोक्त रिक्तियों को भरने की आवश्यकता महसूस हुई, सक्षम प्राधिकारी आयोग द्वारा पहले से ही चयनित लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य था।

(पैरा 20)

आर. क. मलिक, एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए.*

जसवंत सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और अनमोल रतन सिद्धू, अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल हरियाणा.

निर्णय

आर. एस. मदन, जे.

(1) इस आदेश द्वारा हम 31 सिविल रिट याचिकाकर्ताओं 2005 के संख्या 6600, 6822, 6900, 8748, 9549, 3489, 3465, 4337, 5489, 5475, 6567, 6632, 3838, 3345, 4651, 5036, 4953, 4930, 5584, 4539, 19161, 11422, 11143, 10611, 19563, 17022, 7313, 16630 और 2006 के 10677, 14637 के समूह का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें सभी याचिकाओं में समान तथ्य और कानून शामिल हैं।

(2) मामले के तथ्य 2006 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 2896 से लिए गए हैं, जिसका शीर्षक रचना और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है।

(3) संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 31 अगस्त, 2004 को, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 6/2004 के माध्यम से स्टाफ नर्स के 400 पद विज्ञापित किए। पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने उक्त पदों के लिए आवेदन किया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर, 2004 थी। उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर, उम्मीदवारों को 8 नवंबर, 2004 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और साक्षात्कार की उक्त प्रक्रिया 14 नवंबर, 2004 को बंद कर दी गई थी और परिणाम उक्त पद 21 दिसंबर, 2004 को घोषित किए गए थे जब चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव आदर्श आचार संहिता 17 दिसंबर, 2004 को लागू हुई थी।

(4) नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, सरकार द्वारा मामले की जांच की गई और 19 जून, 2005 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 21 दिसंबर, 2004 को किए गए पूर्व चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता जारी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया गया है। नोटिस की प्रति अनुलग्नक पी4 के रूप में संलग्न है और उन्हीं पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन अनुलग्नक पी5 के माध्यम से।

(5) याचिकाकर्ताओं का मामला है कि पहले के चयन को रद्द करने और नई प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की राज्य की विवादित कार्रवाई

अवैध, अन्यायपूर्ण, अनुचित, असंवैधानिक, मनमानी है और खारिज किए जाने योग्य है।

(6) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि चूंकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया चुनाव आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले पूरी हो गई थी, जो 17 दिसंबर, 2004 को जारी की गई थी, केवल परिणाम सचिव द्वारा 21 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग के पास उक्त चयन को रद्द करने का कोई आधार नहीं है, खासकर उन परिस्थितियों में जब चयन की पूरी प्रक्रिया चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले ही पूरी हो चुकी थी।

(7) याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि उपरोक्त पदों पर चयन प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2004 के तहत गठित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई थी। सदस्यों और अध्यक्ष का अपना निश्चित कार्यकाल होता है। उन्हें हटाया नहीं जा सकता. वे स्वतंत्र एजेंसी हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। याचिकाकर्ताओं का चयन एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया गया है। अब पदों को कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से हटा दिया गया है और उक्त कार्य हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता वाली एक समिति को सौंपा गया है, जिसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है और उन्हें राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है। इसलिए स्वतंत्र निकाय यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए गए चयन को रद्द करने और उक्त प्रक्रिया को विभागीय समिति को सौंपने की राज्य की कार्रवाई, पहली नज़र में, मनमानी और अवैध है।

(8) इस प्रकार प्रार्थना की गई कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले एक स्वतंत्र निकाय द्वारा स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त उम्मीदवार नियुक्त होने के हकदार हैं। इसलिए, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं और अन्य चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त करने और उन्हें याचिका की लागत के साथ सभी परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

(9) नोटिस पर, उत्तरदाताओं-राज्य ने 29 जुलाई, 2005 के लिखित बयान के संदर्भ में दावे का विरोध किया। इसमें यह दलील दी गई कि चूंकि चुनाव आदर्श आचार संहिता 17 दिसंबर, 2004 से लागू हो गई थी, फिर भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्टाफ नर्स के पदों सहित विभिन्न

पदों पर चयन की प्रक्रिया को जारी रखा। । इसने 21 दिसंबर, 2004 को स्टाफ नर्सों के चयन के परिणाम घोषित किए। हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को चयन की प्रक्रिया जारी नहीं रखनी चाहिए थी और इसके द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और साक्षात्कारों के परिणाम को घोषित नहीं करना चाहिए था। । मामला भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में आया और आयोग ने 23 दिसंबर, 2004 को मुख्य सचिव, हरियाणा को एक पत्र भेजा कि विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगी।

(10) यह आगे दलील दी गई कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर यह देखा गया है कि सत्ता में राजनीतिक दलों के बीच स्थानांतरण, नियुक्तियां, चयन, घोषणाएं और अवधि के दौरान नई योजनाएं शुरू करने की एक सामान्य प्रवृत्ति होती है। चुनाव प्रक्रिया का भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा दायर एक हलफनामे में भी यह बताया गया है कि 2005 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1817 में डॉ. सूरत सिंह बनाम हरियाणा राज्य में कहा गया कि सत्ताधारी दल द्वारा मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्तारूढ़ दल हमेशा सत्ता में रहकर लाभ उठाने का प्रयास करता है, जिससे संतुलन उसके पक्ष में झुक जाता है या मतदाता प्रभावित होते हैं। लिखित बयान आगे आयोग द्वारा विभिन्न बोर्डों और राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल आदि के लिए की गई विभिन्न नियुक्तियों को दर्शाता है जो इस रिट याचिका के निपटान के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं। इस प्रकार यह दलील दी गई कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण, चयन कानून की नजर में खराब है।

(11) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की अवधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

(12) याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि, अनुबंध पी 4 के अनुसार, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पंचकुला द्वारा स्टाफ नर्सों के 400 पदों को फिर से विज्ञापित किया गया था, जिसमें दलील दी गई थी कि स्टाफ नर्सों का परिणाम तब से 21 दिसंबर, 2004 को चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान घोषित किया गया था, इसलिए, सरकार ने इन पदों को फिर से विज्ञापित करने का निर्णय लिया है। उसमें कहा गया

था कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2005 थी।

(13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पदों को दोबारा विज्ञापित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कारण नहीं बताया गया कि उम्मीदवारों का चयन अवैध प्रक्रिया अपनाकर मनमाने और अवैध तरीके से किया गया है। उत्तरदाताओं का एकमात्र रुख यह है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण, वे नए चयन के लिए स्टाफ नर्सों के 400 पदों को फिर से विज्ञापित कर रहे हैं। प्रतिवादियों का यह कृत्य अवैध, मनमाना है और याचिकाकर्ताओं के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

(14) डॉ. सुषमा मदान, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकुला, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अतिरिक्त हलफनामे के साथ संलग्न अनुबंध आर 1 के माध्यम से, सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पंचकुला को निर्देश दिया है कि प्रक्रिया नियुक्ति पत्र जारी करने का कार्य अपने स्तर से करें। अनुलग्नक आर1 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"से

सचिव,

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,

चंडीगढ़.

को

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ,

हरियाणा, पंचकुला।

क्रमांक HSSC-Conf./Misc.-II/2005/112

दिनांक 20 जनवरी 2006

विषय: कोर्ट केस-सीडब्ल्यूपी नंबर 2896/2005-श्रीमती रचना और अन्य बनाम हरियाणा सरकार-स्टाफ नर्सों की भर्ती की सूचना के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क्रमांक 70/1-1 नर्सिंग-06/466, दिनांक 19 जनवरी 2006 के संदर्भ में। इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने (17 दिसंबर, 2004 से 5 मार्च, 2005) के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों के परिणाम घोषित किए:—

क्रम संख्या	विभाग	विज्ञापन संख्या	श्रेणी संख्या	पदों का नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	परिणाम घोषित होने की तिथि
1.	स्वास्थ्य विभाग	6/2004	1	स्टाफ नर्स	400	21-12-2004
2.	पुलिस विभाग	i. 4/2004	1	एस. आई पुलिस	80	17-12-2004
		ii. 6/2003	1	एस. आई पुलिस	16	17-12-2004

परिणामों की प्रति यहां संलग्न है। स्टाफ नर्स की सिफारिशें महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा को भेजी गईं और एस.आई. पुलिस की सिफारिशें पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को भेजी गईं और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया उनके स्तर पर की जानी थी।

अतः आपसे अनुरोध है कि बिन्दु संख्या 3 पर आवश्यक जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त कर लें।

एसडी/-

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग,

चंडीगढ़।"

(15) अपने तर्कों के समर्थन में विभिन्न प्राधिकारियों का हवाला दिया गया। **गिरीश अरोड़ा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने कहा था कि यदि सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने का निर्णय लेती है तो उसे अनुच्छेद 323(2) की आवश्यकता के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। इसे आयोग या प्रभावित उम्मीदवारों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में, सिफ़ारिशों को आज तक विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा गया है।

(16) **संदीप कुमार बनाम सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य के माध्यम से पंजाब राज्य**[2] का भी संदर्भ दिया गया था जिसमें पैरा नंबर 7 पर 2002 की सिविल रिट याचिका संख्या 19788 का संदर्भ दिया गया है जिसका शीर्षक अमरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य है, पर 18 जनवरी, 2005 को फैसला सुनाया गया और 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 12985, जिसका शीर्षक हरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य था, पर 18 मई, 2004 को फैसला सुनाया गया। आचार संहिता की घोषणा के मद्देनजर नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे से निपटने के दौरान अमरजीत सिंह (सुप्रा) के मामले ने निष्कर्ष निकाला है कि चयनित उम्मीदवारों के साथ कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, जो बोर्ड के समक्ष सफल हुए हैं। 5 मार्च, 2005 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, यह माना जाना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता का प्रभाव समाप्त हो गया है। तात्कालिक कारण से भी, हमें उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए रुख में कोई औचित्य नहीं मिलता है।

(17) 21 जनवरी, 2005 को 2005 के सीडब्ल्यूपी नंबर 833 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का भी संदर्भ दिया गया था, जिसका शीर्षक सरिता बनाम हरियाणा राज्य था और 2005 के सीडब्ल्यूपी नंबर 1621, जिसका शीर्षक रेणुका वाधवा बनाम हरियाणा राज्य था और अन्य, 14 फरवरी, 2005 को निर्णय लिया गया, जिसमें यह देखा गया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता उन व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में प्रतिबंध नहीं लगा सकती, जिन्हें आयोग द्वारा विधिवत चुना गया है।

(18) विद्वान राज्य वकील उपरोक्त मामलों (सुप्रा) में शामिल कानून और तथ्यों के प्रस्ताव पर विवाद नहीं कर सके।

(19) डिवीजन बेंच द्वारा ऊपर निकाले गए निष्कर्ष के मद्देनजर, चयन प्रक्रिया के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा कोई दोष नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि चुनाव आदर्श आचार संहिता 17 दिसंबर, 2004 को लागू हुई थी और परिणाम 21 दिसंबर, 2004 को घोषित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को आयोग द्वारा सफल घोषित किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

---

[1] 1998 (1) R.S.J. 613

[2] 2005 (3) S.C.T. 557

(20) "होना या न होना" शायद 'हैमलेट' के सामने एक दुविधा रही होगी। वर्तमान परिदृश्य में स्थिति स्पष्ट रूप से विपरीत थी और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं था। भारतीय गणतंत्र की एक उज्ज्वल विशेषता, आचार संहिता के लागू होने से चयनित नर्सों की नियुक्ति के आदेश जारी करने पर अनिवार्य रूप से ग्रहण लग गया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां नियुक्तियां किसी अन्य कारण से रुकी हुई थीं। ऐसा होने पर, जिस क्षण चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई और उपरोक्त रिक्तियों को भरने की आवश्यकता महसूस हुई, सक्षम प्राधिकारी आयोग द्वारा पहले से ही चयनित लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य था।

(21) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उस विज्ञापन (अनुलग्नक पी 4) को रद्द करते हैं जिसके माध्यम से 400 स्टाफ नर्सों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। इसलिए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 31 अगस्त, 2004 के विज्ञापन में उल्लिखित समान नियमों और शर्तों पर याचिकाकर्ताओं को नियमित आधार पर नियुक्ति की पेशकश करें। आवश्यक कार्रवाई इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर की जाएगी।. मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा